

2246

1000Rs.


किराये नामा

स्टाम्प शुल्क

1,200/- रुपये

हम कि श्रीराम चैरिटेबिल द्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर (मालिक) प्रथम पक्ष व श्रीराम कॉलेज अलगासपुर गुजफ्फरनगर द्वारा सचिव डा० अनिल विमल रौय पुत्र श्री ए० एम० रौय निवासी स्टाफ क्वार्ट्स, एस० डी० कॉलेज के पास, मुजफ्फरनगर (किरायेदार) द्वितीय पक्ष है। जो प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक व काबिज है और प्रथम पक्ष अपनी सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर देना चाहते हैं तथा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर लेने के लिये सहमत है। दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से मन बुढ़ि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में निम्नलिखित शर्तें

Principal  
Chittaranjan College  
Muzaffarnagar



-2-

और प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को एक हजार रुपये (1,000/- रुपये) प्रति वर्ष वार्षिक, किराये पर द्वितीय पक्ष को देना स्वीकार की है।

2:- यह कि द्वितीय पक्ष का कब्जा बतौर किरायेदार मौके पर करा दिया गया है।

3:- यह कि किरायेदारी की अवधि तीस वर्ष की तैय पायी है जो दिनांक 01-11-2004 ई0 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31-10-2034 को समाप्त होगी।

4:- यह कि द्वितीय पक्ष हर वर्ष नवम्बर माह तक अंकन 1,000/- रुपये वार्षिक किराये की धनराशि प्रथम पक्ष को अदा करके रसीद प्राप्त करेंगे बिना रसीद कोई अदायगी मान्य नहीं होगी।


5:- यह कि द्वितीय पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को विद्यालय चलाने हेतु किराये पर ली है, विद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु सम्पत्ति निम्नलिखित को जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल कर सकेंगे और द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति निम्नलिखित में निर्माण कार्य कराने का अधिकारी होगा तथा दौरान किरायेदारी मैटेनेन्स बिल्डिंग लिपाई पुताई आदि की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

6:- यह कि द्वितीय पक्ष विजली व पानी की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च से करेंगे और अदायगी भी द्वितीय पक्ष स्वयं ही करेंगे।

7:- यह कि सम्पत्ति निम्नलिखित में द्वितीय पक्ष कोई शिकमी किराये दार नहीं रखेगा। केवल अपनी ही किरायेदारी में इस्तेमाल करेंगे तथा केवल विद्यालय हेतु ही किराये पर ली है और विद्यालय चलाने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे।

8:- यह कि यदि द्वितीय पक्ष लगातार वर्ष दर वर्ष किराया द्वारा रसीद प्रथम पक्ष को अदा करता रहा तो प्रथम पक्ष मियाद से पहले सम्पत्ति निम्नलिखित को द्वितीय पक्ष से खाली नहीं करा सकेगा। यदि दो वर्ष तक द्वितीय पक्ष किराया अदा नहीं करते हैं तो किरायेदारी समाप्त मानी जायेगी और प्रथम पक्ष अपना कब्जा वापस ले लेगा।

9:- यह कि द्वितीय पक्ष के लिये लाजिमी होगा कि मियाद किरायेदारी समाप्त होने पर सम्पत्ति निम्नलिखित अपने कब्जे से खाली करके प्रथम पक्ष



-3-

अधिकारी होगा तथा दौरान किरायेदारी मैट्रेनेस बिल्डिंग लिपाई पुताई आदि की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष को होगी।

6:- यह कि द्वितीय पक्ष विजली व पानी की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च से करेगे और अदायगी भी द्वितीय पक्ष स्वयं ही करेगे।


7:- यह कि सम्पत्ति निम्नलिखित में द्वितीय पक्ष कोई शिकमी किराये दार नहीं रखेगा। केवल अपनी ही किरायेदारी में इस्तेमाल करेगे तथा केवल विद्यालय हेतु ही किराये पर ली है और विद्यालय चलाने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेगे।

8:- यह कि यदि द्वितीय पक्ष लगातार वर्ष दर वर्ष किराया ह्वारा रसीद प्रथम पक्ष को अदा करता रहा तो प्रथम पक्ष मियाद से पहले सम्पत्ति निम्नलिखित को द्वितीय पक्ष से खाली नहीं करा सकेगा। यदि दो वर्ष तक द्वितीय पक्ष किराया अदा नहीं करते हैं तो किरायेदारी समाप्त मानी जायेगी और प्रथम पक्ष अपना कब्जा वापस ले लेगा।

9:- यह कि द्वितीय पक्ष के लिये लाजिमी होगा कि मियाद किरायेदारी समाप्त होने पर सम्पत्ति निम्नलिखित अपने कब्जे से खाली करके प्रथम पक्ष के वास्तविक कब्जे व अधिकार में दे देगा। यदि दोनों पक्ष आपस में सहमत होते हैं तो किरायेदारी आगे बढ़ा सकते हैं।

10:- यह कि उपरीकत्त शर्तों के दोनों पक्ष व स्थानायन्न पक्षगण पूर्णतया पाबन्द हैं और रहेंगे।

अतः यह किरायानामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर



20 फेब्रुअरी 2006

-4-

कृष्ण सरावनी

काम आवे। इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगना ब  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि भूमि खसरा नम्बर 209/0.576 है 0  
व 210/0.2767 है 0, व 210/0.068 है 0 व 210/0.6895 है 0 व 210/0.032  
है 0 व 204/0.082 है 0 व 205/0.072 है 0 व 206/0.062 है 0 व  
203/0.0318 है 0 व 210/0.0121 है 0 व 210/0.0562 है 0 व 203/0.0318  
है 0 व 204/0.010 है 0, कुल क्षेत्रफल 2.00 है 0 है, जो अकृषिक अर्थात्  
आबादी घोषित है।

जिसमें एक बिल्डिंग व चाहरदीवारी इस्तादा है।

(Signature)

(Signature)

साक्षी -----

साक्षी -----

(Signature)

गुप्त

तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

तिथी तारीख: 07.02.2006 ई.

Principal Collector  
State Bank of India  
Almora

"अंगुली का प्रकार"

अंगुलक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
--------	--------	--------	---------	----------

प्रकार का नाम .....

दाय়ো হাথ					
बाय়ো হাথ					

प्रकार का नाम .....

दाय়ো হাথ					
बाय়ো হাথ					

प्रकार का नाम .....

दाय়ো হাথ					
बाय়ো হাথ					

प्रकार का नाम .....

दाय়ো হাথ					
बाय়ো হাথ					

प्रकार का नाम .....

दाय়ো হাথ					
--------------	--	--	--	--	--

S 150

S 150



21 NOV 1966

1

01 DD 498000

मि. 30251



विक्रय पत्र कृषि भूमि

बैनामा :- 7,00,000/- रुपये

स्टाम्पशुल्क :- 70,000/- रुपये

मि. 30251 वटा

B. M. W. D. M. S.

Principal  
Sir Ram College  
Mangalore



2

नाम विक्रेता	:-	अष्टमीचन्द
नाम क्रेता	:-	श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट
सम्पत्ति स्थित	:-	ग्राम अलमासपुर {बाहर हूदू}
		परगना मुजफ्फरनगर।

हम कि अष्टमीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द निवासी नई मण्डी  
मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष विक्रेता व श्री राम चेरिटेबल ट्रस्ट, 1298  
सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर, द्वारा डा० सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन  
गोपाल कुलश्रेष्ठ, निवासी 1298 सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर, चैयरमैन व  
धर्मपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह, निवासी 343 डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ कैन्ट,  
वाईस चैयरमैन, द्वारा ट्रस्ट डीड दिनांक 7-10-2003 ई०, जिसकी रजिस्ट्री  
कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम मे बही नम्बर 4 की जिल्द 79 के

कि. ३०२४४-८-८

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.






3

पृष्ठ 83-132 मे क्रमांक 510 पर दिनांक 7-10-2003 ई0 को दर्ज है, द्वितीय पक्ष क्रेता है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न लिखित है, का पूर्ण स्वामी द्वारा खरीद बैनामा से है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एवम मुक्त है। प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्हियों व शरीर की सम्पत्ति निम्नलिखित समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के मुताबिक बिल एवज मुबलिग सात लाख रुपये 7,00,000/- कि आधे जिसके मुबलिग तीन लाख पचास हजार रुपये 3,50,000/- होते हैं बदस्त द्वितीय पक्ष बेच दी है और बैकतई कर दी है और प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रयमूल्य अंकन 7,00,000/- रुपये द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से समस्त विक्रयमूल्य अंकन 7,00,000/- रुपये द्वारा बैक नम्बरी 861061 दिनांक 21-11-2003 ई0 बनाम पंजाब नेशनल बैंक, इण्डस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। जरे कीमत मे कुछ भी

Mr. Anil Patel

23072003

23072003



Principals  
Chittaranjan College  
Muzaffarnagar

5000Rs.



4

शेष-नहीं रहा है। विक्रित सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हक्कूक के अपने तुल्य सौप दिया है। अब प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में से निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय हर्जा खर्चा व रिवाजी ब्याज सहित प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का हरप्रकार का उजर अमान्य होगा। विक्रित भूमि किसी राजमार्ग या जनपदीय

मेरी अफलीचंड



Principal  
The Law College  
Mysore.

5000Rs.



15 NOV 2003

16301


5

मार्ग पर वाके नहीं हैं। विक्रित भूमि लिंक मार्ग पर वाके हैं। विक्रित भूमि अब्बल किस्म की है। विक्रित भूमि में तीन येड शीशाम उम्र लगभग दस वर्ष कीमतन लगभग 2,000/- रुपये वाके हैं। विक्रित भूमि में कोई बोरिंग ट्यूबवेल नहीं है। यहां की निधारित दर अंकन 12,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर से विक्रित भूमि की मालियत अंकन 6,91,200/- रुपये बनती है इसप्रकार कुल मालियत अंकन 6,93,200/- रुपये बनती है लेकिन हमारा सौदा उक्त बाजारी कीमत अंकन 7,00,000/- रुपये में तैय पाया है जो उचित एवम पर्याप्त है। बाजारी कीमत किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं है। विक्रित भूमि सम्बन्धी द्वितीय पक्ष से पहले कोई इकरारनामा नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है। विक्रित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आये।

विक्रयात्मक

B. D. Singh



PrinDee  
Shri Ram College  
Raigarh

5000RS.



15 NOV 2005

मालाकर का. १२

16000

6

विवरण विक्रित सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर [ बाहर हदूद ] परगना  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर :— भूमि नम्बर खसरा 209 रकबई 0.576  
हेक्टेयर जो अवल है।

किशोरनी



Signature



साक्षी

Ganga Pratap Agarwal

No. 10 Ashrami Chaw  
32B New Model  
Tugoffkotwala

साक्षी


*Pratap Gopal  
Nainay  
Mujahid Ali  
18/7 Dera Nang  
Muzaffarnagar*

तारीख तहरीर :— 21-11-2003 ई०

डाफटकर्ता खैराती लाल अरोरा एडवोकेट तहसील मुजफ्फरनगर।

W.M.



Pratap  
College  
Muzaffarnagar



10RS.

45


8602



पूरक पत्र

हम कि अष्टमीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द, निवासी नई मण्डी  
मुजफ्फरनगर, प्रथम पक्ष व श्री राम चेरिटेबल ट्रस्ट, 1298 सरकुलर  
रोड मुजफ्फरनगर, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर, द्वारा डा० सुभाष चन्द्र  
कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ, निवासी 1298 सरकुलर रोड  
मुजफ्फरनगर, चेयरमैन व धर्मपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द सिंह, निवासी 343  
डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ कैन्ट, वाईस चेयरमैन, द्वारा ट्रस्ट डीड दिनांक  
7-10-2003 ई०, जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिवस्थक मुजफ्फरनगर प्रथम  
मे बही नम्बर 4 की जिल्द 79 के पृष्ठ 83-132 मे क्रमांक 510 पर दिनांक  
7-10-2003 ई० को दर्ज है, द्वितीय पक्ष है। जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित  
भूमि का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष, दिनांक 21-11-2003 ई० को लिखकर  
रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 की जिल्द नम्बर 1996  
के पृष्ठ 169-182 मे क्रमांक 8180 पर दिनांक 21-11-2003 ई० को दर्ज है।

नि. ३० राम कॉलेज



2

बैनामा लिखते समय भूलवश , वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर , छूट गया है, जिसका लिखा जाना आवश्यक है । अतः उक्त बैनामा मे जहां कहीं श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट 1298 सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर लिखा है, उसके बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जावे, यानि कि उक्त बैनामा मे पूरा नाम श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट 1298 सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर, द्वारा डा० सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ, निवासी 1298 सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर, चैयरमैन व धर्मपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द्र सिंह, निवासी 343 डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ कैन्ट, वाईस चैयरमैन, पढ़ा जावे ।

अतः यह पूरक पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवे ।  
विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर :— भूमि नम्बर खसरा 209 रकबई 0.576 हेक्टेयर जो अव्वल है ।

फि. ३०२ जीन्यु



*D. Sonawane*



साक्षी

*C.P. Agarwal*

साक्षी

*B. M. - A.*

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar


तारीख तहरीर :— 9—12—2003 ई०

डाफ्टकर्ता खेराती लाल अरोरा एडवोकेट तहसील मुजफ्फरनगर ।

894) 5000Rs.



मुजफ्फरनगर



### क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबंधक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र	:- कृषि भूमि
विक्रेता का नाम	:- दयाचन्द
क्रेता का नाम	:- श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट
विक्रय मूल्य	:- 2,75,000/- रुपये
मालियत	:- 2,76,750/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	:- 27,700/- रुपये

27/1/चन्द

Principal  
Sri Ram College  
Muzaffarnagar

John



-2-

22205

मुजफ्फरनगर

स्थित सम्पत्ति :- ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद)  
परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर  
निधारित दर :- 10,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर  
किस्म जमीन :- जंगल अव्वल आबी  
विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण  
के अन्तर्गत है।  
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

ट्रांसचंड



प्राधिकरण  
मुजफ्फरनगर  
22205



-3-

हम कि दयाचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर व द्वारा संस्थापक सदस्य श्री नीरज कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी 343, ए-ब्लाक, डिफेन्स एनवलेव, सरधाना रोड, मेरठ केन्ट द्वितीय पक्ष (क्रेतागण) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का संक्रमणीय

दयाचन्द्र

Principal  
Shri Ram College



२०५३७

मुक्तालिका

-4-

भूमिधार मालिक व काबिज है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष स्वेच्छा से मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिला दबाव किसी अन्य व्यक्ति के इकरार इस अमर का करता है कि प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मय जुमला हक व हकूक मुतालिका उसके जो कुछ

८८०८८८

Principals  
Sri Ram College  
Mitternagar.



20 May 2006

-5-

मुजफरनगर

भी उसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को हासिल है बिला कोई हक व हकूक बाकी रख्ये बिलऐवज मुबलिग दो लाख पिचहत्तर हजार रुपये ( $2,75,000/-$  रुपये) निस्फ जिसके मुबलिग एक लाख सौ तीस हजार पाँच सौ रुपये ( $1,37,500/-$  रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड मुजफरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफरनगर व द्वारा

२८१८८८

*[Handwritten signature]*


Principals  
College  
Sri Ram Chandra  
Muzaffarnagar




424

-6-

संस्थापक सदस्य श्री नीरज कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी  
343, ए-ब्लाक, डिफेन्स एनक्लेव, सरधना रोड, मेरठ केन्ट द्वितीय  
पक्ष (क्रेतागण) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य  
पैश्तर नकद प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है।  
कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल  
अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से  
प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है  
और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या




Principal  
S. J. M. College  
Mysore.



425

-7-

उसके किसी सहीम या शारीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या बाईपास या लिंक मार्ग या जनपदीय मार्ग या खड़न्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है



Principal  
Ramanand College  
Vidisha, Madhya Pradesh,



-8-

और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है, चूंकि द्वितीय पक्ष की पहले से ही भूमि निम्नलिखित से लगी हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 209 है, एवं खसरा नम्बर मजकूर में प्रथम पक्ष का कब्जा जानिब पश्चिम है, एवं द्वितीय पक्ष को भी कब्जा जानिब पश्चिम ही दिया जा रहा है। विक्रीत भूमि में कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 10,400/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 2,75,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किसी भूमि के

ट्रान्सफर

Principal  
Govt. Law College  
Maffatnagar.

100Rs.



-9-

अनुसार अंकन 2,76,750/- रुपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि संक्रमणीय भूमिघरी खसरा नम्बर 210 रकबई 1.379 है०, लगान भाग भूमि सालाना 13-00 रुपये किस्म जमीन जंगल अच्चल आबी का कुल हक

२८१८८८

Principal  
Cotton College  
Sylhet  
District Officer

100Rs.



-10-

व हिस्सा यानि/2767 / 13790 माग, मय जुमला हक व हकूक  
हर किस्म।

रुपयन्ते

१००

१००

ग्रामिण चापी ५%  
श्री रमेशपाटे यावी  
५३ वी नवी गांव, मुंगार  
साक्षी गोदाराज्ज्वल

साक्षी

५००


जागतरपूर  
व जागतरपूर अमृत

५ अमृत

तहरीर तातो:- 22-12-2003 ई०

ड्राफ्ट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

Principals  
Shri Ram College  
Tehsil Sadar





220  
200

17 AUG 2003

ONE HUNDRED RUPEES

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम पूरक पत्र  
स्टाम्प रुल्क

100/- रुपये (पाँच सौ)

हम कि दयाचन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर छारा श्री सुमाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चैयरमेन तथा श्री नीरज कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी 343, ए-ब्लॉक, डिफेंस एनकलेव, सरधुना रोड, मेरठ केन्द्र संस्थापक सदस्य, छारा ट्रस्ट डीड दिनांक 07-10-2003 ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम मे बहो नम्बर 4 की जिल्द 79 के पृष्ठ 83-132 क्रमांक 510 पर दिनांक 07-10-2003 ई0 को दर्ज है, द्वितीय पक्ष है।

दयाचन्द्र

Signature

Moayyad

Principal  
Government College  
Muzaffarnagar

जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित भूमि का वैनामा बहक द्वितीय पक्ष, दिनांक 22-12-2003 ई० को लिखकर रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 की जिल्ड 2024 के पृष्ठ 245-266 क्रमांक 8947 पर दिनांक 22-12-2003 ई० को दर्ज है। उक्त वैनामा लिखते समय किसी भ्रमवश विक्रय पत्र में श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट के बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा छूट गया था, जिसका लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, चूंकि श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ही श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर के लिये भूमि क्रय की गयी थी जो कॉलेज के हित में भी है और इसी दस्ट द्वारा श्रीराम कॉलेज का संचालन भी होता है। लिहाजा इस दस्तावेज के द्वारा वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा जाये और उसे जोड़कर पढ़ा जाये, यह आवश्यक है। चूंकि पहले भी कॉलेज का संचालन दस्ट ही कर रहा था और आज भी कॉलेज के ऊपर दस्ट का पूर्ण नियन्त्रण है। विक्रय पत्र द्वारा क्रय की भूमि पर अब दस्ट ने स्कूल की बिल्डिंग भी बनवा दी है। अतः दोनों पक्ष स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र में जहाँ श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर लिखा है, उसमें श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जाये और जुड़ा हुआ माना जाये। यानि कि उक्त विक्रय पत्र में पूरा नाम श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चेयरमेन व

एपार्टमेंट

W.M.

Neerukumar

-3-

श्री नीरज कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी 343, ए-ब्लॉक,  
डिफेन्स एनकलेच, सरधना रोड, मेरठ केन्ट, संस्थापक सदस्य, पढ़ा  
व लिखा हुआ माना जाये।

अतः यह पूरक पञ्च लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय  
पर काम आवे। इति।


विवरण सम्पत्ति स्थित प्लाम अलमासपुर बाहर हदूद परगना व  
तहसील के जिला मुजफ्फरगढ़:- भूमि खसरा नम्बर 210 रक्कई  
1.379 है, किसम ज़मीन जंगल अच्छल आबी का कुल हक क  
हिस्सा यानि 2767/13790 भाग है।

साक्षी अमला लुमट्टल, अंमला  
129 अलूली 3 लुमट्टल

साक्षी अमला लुमट्टल  
86 लुमट्टल-दस्तावेज  
अलमासपुर

तहरीर ता०:- 18-08-2005 ई०

ड्राफ्ट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदस्य मुजफ्फरगढ़



## “अंगुली का प्रकार”

दाय়ের	বাজানী	সামান্য	বিশেষ	দূসরে
प्रश्नकार का नाम				

दाय়ের হাথ					
बायाँ हाथ					

दाय়ের হাথ					
बायाँ হাথ					

दाय়ের হাথ					
बायाँ হাথ					

दाय়ের হাথ					
बायाँ হাথ					

प्रश्नकार का नाम .....

दाय়ের হাথ					
बायाँ হাথ					

Central  
Police  
College  
Dhaka  
Bengal  
University



२३ अग १९८०

29701



### क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र	:-	कृषि भूमि
विक्रेता का नाम	:-	जगत सिंह
क्रेता का नाम	:-	श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट सहखातेदार
विक्रय मूल्य	:-	65,000/- रुपये
मालियत	:-	68,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	:-	6,800/- रुपये
स्थित सम्पत्ति	:-	ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

अग्रताम्

Non-Judicial  
Stamp College  
Muzaffarnagar

INDIA NON JUDICIAL

₹ 3000

Rs 1000

सर्वमन्त्र जयते

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

639

-2-

निर्धारित दर :— 10,00,000 / — रुपये प्रति हैक्टेयर  
किसी जमीन :— जंगल अव्वल आबी  
विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण  
के अन्तर्गत है।  
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

हम कि जगत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का संक्रमणीय भूमिधार मालिक व काबिज है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित

जगतसिंह

M.M.

Aligarh  
Muslim College  
Muzaffarnagar.



-3-

को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष स्वेच्छा से मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिला दबाव किसी अन्य व्यवित के इकरार इस अमर का करता है कि प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मय जुमला हक व हकूक मुतालिका उसके जो कुछ भी उसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को हासिल है बिला कोई हक व हकूक बाकी रख्ये बिलएवज मुबलिग पैंसठ हजार रुपये (65,000/-रुपये) निस्फ जिसके मुबलिग बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये (32,500/-रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य पेश्तर नकद प्राप्त कर लिया

—  
जागति  
—


—  
200  
—

P. Bhattacharyya  
Sri Ram College  
Muzaffarnagar



-4-

है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्च रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या बाईपास या लिंक मार्ग या जनपदीय मार्ग या खड़न्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है, चूंकि द्वितीय पक्ष की पहले से ही



100Rs.



-5-

भूमि निम्नलिखित से लगी हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 209 है, एवं द्वितीय पक्ष नम्बर मजकूर में भी सहखातेदार है, एवं विक्रीत भूमि अपनी भूमि से लगती हुई ही खरीद की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़ द्रूपबैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 2,560/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 65,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 68,000/- रुपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिखा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि संक्रमणीय भूमिधारी खसरा नम्बर 210 रकबई 1.397 है 0, लगान भूमि सालाना 68-20 रुपये किस्म जमीन जंगल अच्छल आबी का कुल हक

Shri D. P. Patel  
Muzaffarnagar.  
Muzaffarnagar.

100Rs.



-6-

व हिस्सा, यानि 3447 / 13790 भाग का 680 / 3447 भाग  
यानि कुल का 68 / 1379 भाग अपने सहखातेदार को विक्रय किया है,  
मय जुमला हक व हकूक हर किस्म। बकाया भाग 2767 / 13790 भाग  
में प्रथम पक्ष पक्ष बदस्तूर मालिक व काबिज रहेगा।

जातीस्थ

Signature

साक्षी मौद्रिक

Sd/- मौद्रिक सिंह

S/- रामचन्द्र

कालापाल

तहरीर तातो:- 24-12-2003 ई०

झापट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

साक्षी कामिल हार्गी 5/०  
श्री रघु लाल चौधरी  
53 वीं नई नगी, झुंगराट

Shivam College  
Shivam Nagar  
Muzaffarnagar



The entire area is 200 ft x 400 ft  
or 8000 sq ft in area.

101 11244

Principal  
Shri Ram College  
Mysore.

322  
2855

117/2

रुपये

प्रत्यक्ष रुपया ONE HUNDRED RUPEES



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
पूरक पत्र

स्टाम्प शुल्क ----- 100/- रुपये

इस कि जगत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम  
अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व  
श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल  
लाइन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर वास्ते, श्रीराम कॉलेज  
मुजफ्फरनगर द्वारा श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री महेन गोपाल  
कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व  
चैयरमेन द्वारा ट्रस्ट डीड दिनांक 07-10-2003 ई0 जिसकी रजिस्ट्री  
कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम मे वही नम्बर 4 की  
"जिल्द 79 के पृष्ठ 83-132 क्रमांक 510 पर दिनांक 07-10-2003  
ई0 को दर्ज है, द्वितीय पक्ष है।

उगलीपात्र

उगलीपात्र

प्रिंटिंग  
R. M. College  
Maffarnagar.

जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित भूमि का बैनामा संस्क  
द्वितीय पक्ष, दिनांक 24-12-2003 ई० को लिखकर रजिस्ट्री कराया  
हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री वही नम्बर 1 की जिल्द 2026 के पृष्ठ  
95-108 क्रमांक 8990 पर दिनांक 24-12-2003 ई० को दर्ज है।  
उक्त बैनामा लिखते समय किसी भ्रमवश विक्रय पत्र में श्रीराम  
चैरिटेबिल ट्रस्ट के बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा ना  
छूट गया था, जिसका लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, चूंकि  
श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ही श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर के  
लिये भूमि क्रय की गयी थी जो कॉलेज के हित में भी है और  
इसी ट्रस्ट द्वारा श्रीराम कॉलेज का संचालन भी होता है। लिहाजा  
इस दस्तावेज के द्वारा वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा  
जाये और उसे जोड़कर पढ़ा जाये, यह आवश्यक है। चूंकि पहले  
भी कॉलेज का संचालन ट्रस्ट ही कर रहा था और आज भी  
कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट का पूर्ण नियन्त्रण है। विक्रय पत्र द्वारा क्रय  
की गयी भूमि पर अब ट्रस्ट ने स्कूल की बिल्डिंग भी बनवा दी  
है। अतः दोनों पक्ष स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र में जहाँ श्रीराम  
चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी,  
सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर लिखा है, उसमें श्रीराम चैरिटेबिल  
ट्रस्ट, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जाये और जुड़ा हुआ  
माना जाये यानि कि उक्त विक्रय पत्र में पूरा नाम श्रीराम  
चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर रजिस्टर्ड  
ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर,  
द्वारा सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ

जगतासौ

Principal  
S.V. Govt. College  
Ghaziabad.

८१

निवासी १२०८, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चेयरमन  
पहा जाये।

अतः यह पूरक पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय  
पर काम आवे। इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर बाहर हदूद परगना व  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- भूमि खसरा नम्बर 210 रकबई  
1.397 है०, किस्म जमीन जंगल अब्बल आबी का कुल हक व  
हिस्सा यानि 3447/13790 भाग का 680/3447 भाग यानि कुल  
का 68/1379 भाग है।

साक्षी  
मोहम्मद अमीर खान  
बिलासपुर

साक्षी  
मोहम्मद अमीर खान  
टीरपील खान  
१२०८ रुपये  
३४४७/१३७९०

वहरीर ता०:- 12.08.2005. ई०

ड्राफ्ट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।



प्राप्ति	तरंगी	मध्यम	असंगीका	प्र० ८००८
----------	-------	-------	---------	-----------

दायाँ हाथ				
दायाँ हाथ				

पक्षकार का नाम .....  
*लक्ष्मण अंडेरा*

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....



दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					


पक्षकार का नाम .....


दायाँ हाथ				<i>Princet Smt. Kanchan College Mangal.</i>	
दायाँ हाथ					



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र	:-	कृषि भूमि
विक्रेता का नाम	:-	मोहर सिंह आदि
क्रेता का नाम	:-	श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट
विक्रय मूल्य	:-	7,00,000/- रुपये
मालियत	:-	6,91,500/- रुपये





-2-

- |   |  |
|---|--|
| स्टाम्प शुल्क   | :- 70,000/- रुपये  |
| स्थित सम्पत्ति  | :- ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद)<br>परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर |
| निर्धारित दर  | :- 10,00,000/- रुपये प्रति हैकटेयर                               |
| किसम जमीन   | :- जंगल अच्चल आवी  |
| विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण<br>के अन्तर्गत है। |  |
| विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।                                  |  |


लोटरी संख्या

जागताकापुर

मुजफ्फरनगर



Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.



02AA 178300


-3-

हम कि मोहर सिंह व जगत सिंह पुत्रगण श्री रामचन्द्र निवासीगण ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित

*मोहर सिंह*  
*जगत सिंह*  
*पुत्र*

*Principal  
Guru Nanak College  
Jullundur, Punjab*

5000Rs.




-4-

का संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कर्तव्य पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही

मोटर लिंग  
ग्रामतालाट  
गोपनीय  
मोटर लिंग

Princely  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar

5000Rs.



-5-

है। अतः प्रथम पक्षा ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समर्त  
इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से  
सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये अंकन सात लाख  
रुपये ( $7,00,000/-$  रुपये) निस्फ जिसके मुबलिग तीन  
लाख पचास हजार रुपये ( $3,50,000/-$  रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम  
चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी,

श्रीराम  
जगतपाल

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.

5000Rs.



सुविधा नाम

28490


-6-

सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा संस्थापक व चैयरमेन भी सुभाष  
चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298  
सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप  
से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा चैक नम्बर 861077 व  
861078 पंजाब नेशनल बैंक, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मुजफ्फरनगर दिनांक  
26-05-2004 ई0 प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा।

मोहन सिंह

ज्ञातपाई

दृष्टि



Principals  
Sri Ram College  
of Education

5000Rs.



- 1 JUN 2004

38245

-7-

है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिरल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शारीक की दावेदारी से या किसी कानूनी

मोटी

जगतप्सृ

झोम्हा

झोम्हा

Principal  
Sari Ram College  
Muzaffarnagar

5000Rs.



-8-

त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्च रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें।

मेरामते

जगतामृष्ट

200mm

Principal  
M. M. College  
Mysore

5000Rs.



-9-

38247

इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या बाईपास या लिंक मार्ग या जनपदीय मार्ग या खड़न्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि मे कोई दयूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि क्रय करने


21/12/2004  
Fingerprint

D.  
लगातार

2004/12/21

Principal  
College  
of  
Business

1000Rs.



-10-

के उपरान्त द्वितीय पक्ष का विक्रीत नम्बर में  $\frac{3}{4}$  भाग हो गया है। विक्रीत भूमि में श्री जोरावर सिंह का  $\frac{1}{4}$  भाग शेष रहा है जो जानिब पूरब रहेगा। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 27,360/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 6,89,500/- रुपये होती है विक्रीत


श्री दराराम

जगदेव

W.M.W.

Principal  
Rajah College  
Mymensingh

1000Rs.



-11-

भूमि में दो पेड़ आम है जिनकी मालियत अंकन 2,000/- रुपये होती है, इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत अंकन 6,91,500/- रुपये होती है, विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 7,00,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे

मिशन

जगतामृद्ध

मिशन

शिल्प  
College  
प्रशिक्षण  
केन्द्र  
कलाकार

1000Rs.



-12-

अधिक नहीं है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे

मोटरिंग

जगतीका

द्वितीय



Princed  
Jain College  
Dharmatala  
Mysore

1000 Rs.



-13-

और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद)  
परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः— जो कि संक्रमणीय भूमिधारी  
खसरा नम्बर 210 रकबई 1.379 है। लगान भाग भूमि

मोटामेटे


जगतीमाटे

देवामाटे



Principal  
Civil Engineering  
College  
Muzaffarnagar

1000Rs.



1857

-14-

सालाना 34-20 रुपये किस्म जमीन जंगल अव्वल आबी का कुल हक  
व हिस्सा यानि  $\frac{1}{2}$  माग, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

मोहन सिंह

जगतसाई

मोहन सिंह




साक्षी मोहन सिंह  
53 वी, नर्सीगढ़ी  
मुमलाता

साक्षी प्रवेण कारणी A.I.  
पार लाला पार  
मताली  
मुमला

तहसील ताता:- 07-06-2004 ई०

झाफ्टकर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

Principal  
College






અને એવી કાર્યોની પ્રત્યે આપણું જો વિશે બની રહેલું હોય તો આપણું એવી

250 100 250 100

Principal  
Shriffman College  
College Hill 3-285-



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
पूरक पत्र

स्टाम्प शुल्क ----- 100/- रुपये

हम कि मोहर सिंह व जगत सिंह पुत्रगण श्री रामचन्द्र  
निवासीगण ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम  
पस व श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल  
लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर  
द्वारा श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी  
1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चैयरमेन द्वारा ट्रस्ट डीड  
दिनांक 07-10-2003 ई० जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर  
प्रथम मे वही नम्बर 4 की जिल्द 79 के पृष्ठ 83-132 क्रमांक 510 पर  
दिनांक 07-10-2003 ई० को दर्ज है, द्वितीय पक्ष है।

जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित भूमि का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष, दिनांक 07-06-2004 ई0 को लिखकर रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 की जिल्द 2181 के पृष्ठ 213-242 क्रमांक 4604 पर दिनांक 07-06-2004 ई0 को दर्ज है। उक्त बैनामा लिखते समय किसी भ्रमवश विक्रय पत्र में श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट के बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखना छूट गया था, जिसका लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, चूंकि श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ही श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर के लिये भूमि क्रय की गयी थी जो कॉलेज के हित में भी है और इसी ट्रस्ट द्वारा श्रीराम कॉलेज का संचालन भी होता है। लिहाजा इस दस्तावेज के द्वारा वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा जाये और उसे जोड़कर पढ़ा जाये, यह आवश्यक है। चूंकि पहले भी कॉलेज का संचालन ट्रस्ट ही कर रहा था और आज भी कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट का पूर्ण नियन्त्रण है। विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी भूमि पर अब ट्रस्ट ने स्कूल की बिल्डिंग भी बनवा दी है। अतः दोनों पक्ष स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र में जहाँ श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर लिखा है, उसमें श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जाये और जुड़ा हुआ माना जाये यानि कि उक्त विक्रय पत्र में पूरा नाम श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर रजिस्टर्ड

मौजूदा है

जगतराम

B.M+

ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर,  
द्वारा सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ  
निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चैयरमेन  
पढ़ा जाये।

अतः यह पूरक पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय  
पर काम आवे। इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर बाहर हदूद परगना व  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- भूमि छसरा नम्बर 210 रकबई  
1.379 है, किस्म जमीन जंगल अब्बल आबी का कुल हक व  
हिस्सा यानि 1/2 भाग है।

--मीलिं

जगतारौ

१२९८

साक्षी  
विनोद कुमार शर्मा  
जलालपुर छुड़ा

साक्षी जलालपुर मुर्मा १२९८  
दीपमपुर मुर्मा  
१२९८ सरकुलर रोड छुड़ा

तहरीर तातो:- 12.08.2005 ई०

झापट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर,



Principle  
S/o Ram Chatterjee  
1298

"अंगुली का प्रकार"

S.

अंगुष्ठक	तर्जनी	भव्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
----------	--------	--------	---------	----------

पक्षकार का नाम ..... १११८६३

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम ..... १११८६३

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम ..... १११८६३

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					



27 SEP 2004  
उत्तर प्रदेश

20/11/2004



### कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम

बैनामा कृषि भूमि:-

30,000/- रुपये

मालियत:-

32,000/- रुपये

स्टाम्प शुल्क:-

3,200/- रुपये

नाम विक्रीता:-

चेतन आदि

नाम क्रेता:-

श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट

सम्पत्ति स्थित:-

ग्राम अलमासपुर { बाहर हदूद }

परगना मुजफ्फरनगर

जिलाधिकारी महोदय

परगना

द्वारा निर्धारित दर:-

10,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

क्षेत्रफल:-


0.032 हैक्टेयर

चंदन 1264

कौटुम्बलाल



Principal  
Government College  
Muzaffarnagar





-2-

30236

प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।


विक्रित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

हम कि चेतन व मोहन पुत्रगण श्री हरिकिशन निवासीगण ग्राम अलमारापुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष { जो इस लेखपत्र मे विक्रेतागण है } व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट जिसका रजिस्टर्ड आफिस 1298 सिविल लाईन दक्षिणी सरकूलर रोड मुजफ्फरनगर पर है, द्वारा संस्थापक व चेयरमैन सुभाषचन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदनगोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298 सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष { जो इस लेखपत्र मे क्रेता है } है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की है जिसका प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिघर है, जिस पर कोई भार व देनदारी नहीं है और ना ही प्रथम पक्ष ने निम्न सम्पत्ति पर किसी बैंक या किसी विभाग या किसी व्यवित्त विशेष से कोई कर्ज लिया हुआ है यदि भविष्य मे आज से पूर्व का कोई कर्ज निम्न सम्पत्ति पर पाया जाता है तो उसे अदा व बेबाक करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी ऐसे कर्ज की अदायेगी से श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट व उसके रथानापन्नों का कोई वास्तव व ताल्लुक नहीं होगा निम्न सम्पत्ति को विक्रय करने के अधिकार तन्हा प्रथम पक्ष को प्राप्त है द्वितीय पक्ष ने निम्न सम्पत्ति की बाबत प्रथम पक्ष के समर्त अधिकार, मिलकियत, कब्जे आदि के बारे में अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली है और निम्न सम्पत्ति को मौके पर देख ली है और निम्न सम्पत्ति को क्रय करने के लिए तैयार है। अतः प्रथम पक्ष ने निम्न सम्पत्ति को उससे सम्बन्धित समर्त रचत्व व अधिकारों सहित चाहे उन अधिकारों

चेतन ११६ नौहाली

WVA 000



-3-


30287

का उल्लेख इस आलेख में साफ तौर से किया गया हो या ना किया गया हो बिना सुरक्षित रखे किसी भी अधिकार के मन बुद्धि और समस्त इन्द्रियों की स्वरथ दशा में रखेंगी से बदले अंकन तीस हजार 30,000/- रुपये कि आधे जिसके अंकन पन्द्रह हजार 15,000/- रुपये होते हैं बदरत श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट जिसका रजिस्ट्रर्ड आफिस 1298 सिविल लाईन दक्षिणी सारकूलर रोड गुजपफरनगर पर है, द्वारा रांथापक चंचरमैन सुभाषचन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदनगोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298 सिविल लाईन दक्षिणी मुजपफरनगर परगना व तहसील व जिला मुजपफरनगर {द्वितीय पक्ष} को विक्रय कर दी और बेच दी और कुल विक्रय धन द्वितीय पक्ष से नकद पेश्तर प्राप्त किये, कोई पैसा बाकी नहीं रहा है, कब्जा व दखल विक्रित सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना उठाकर दखल व कब्जा बहालत मौजूदा मौके पर उक्त संस्था व उसके स्थानापन्नों का अपने तुल्य करा दिया है, अब प्रथम पक्ष का या उसके वारसान का कोई वारता व ताल्लुक विक्रित सम्पत्ति से नहीं रहा है और ना भविष्य में होगा यदि प्रथम पक्ष के किसी फेल या तर्क फेल से या किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी नुकस कानूनी से या किसी अन्य प्रकार से विक्रित सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश कब्जे द्वितीय पक्ष से निकल जावे तो ऐसी समस्त दशाओं में उक्त संस्था के स्थानापन्नों को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर ले या कुल या अंश विक्रय धन जैरी भी उस समय दशा हो मय सूद जाक्ता प्रथम पक्ष की दीगर जायदाद से जिस प्रकार चाहे मय खर्च अदालत वसूल कर ले इसमें प्रथम पक्ष को या उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी, विक्रित भूमि से कोई पेड या बोरिंग नहीं है, विक्रित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज से पूर्व प्रथम पक्ष

टोतो । १८८

गुरुनाल

P. S. Shri Ram Chandra  
M. A., M. Sc.  
Lecturer in Economics  
Shri Ram College  
Mysore - 570 001



३१ मार्च २०२४

-4-

ने उक्ता संरथा के हक में या किसी अन्य व्यवित के हक में कोई इकारनामा नहीं किया है, निम्न सम्पत्ति में जो हक्कूक व अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त थे वह रामरत हक्कूक व अधिकार अब उक्त संरथा व उसके स्थानापन्नों को प्राप्त होंगे।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काग आवे। इति।

विवरण विक्रित सम्पत्ति रिथत ग्राम अलमासपुर [ बाहर हदूद ] परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:— जो कि खसरा नम्बर दो सौ एक रकवई शून्य प्वाइन्ट शून्य तीन दो  $201 / 0.032$  है० लगान 1.60 रुपये रालाना, किस मूमि जांगल अव्वल आवी, यह जुमला हक व हक्कूक हर किस्म, आराजी मजकूरा की लगान से मालियत 1,280/-रुपये तथा किस्म मूमि के अनुसार आराजी मजकूरा की मालियत 32,000/-रुपये होती है, विक्रित मूमि किसी मुख्य मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग या बाई पास पर रिथत नहीं है और ना ही विक्रित मूमि किसी खडोन्जा या किसी पुख्ता सड़क पर रिथत है, आराजी मजकूरा को प्रथम पक्ष ने अकन 30,000/-रुपये मे द्वितीय पक्ष को बेचा है यही इसकी बाजारी कीमत है वर्तमान बाजारी कीमत किसी भी दशा मे इससे अधिक नहीं है किन्तु भविष्य के समस्त स्टाम्प सम्बन्धी विवादो से बचने के लिये

टोलन १८८

मौहनलाल

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

३०० रुपये

R 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-5-


रसायन शुल्क निर्धारित दर के अनुसार अंकन 32,000/- रुपये की  
मालियत पर आदा किया गया है।


साक्षी चारों भाइ  
श. लालनाथ  
यांत्रपलभासपुर

साक्षी विनोद कुगार शर्मा  
श. विनोद कुगार  
1293 212 ३४१२२१३  
31/6/2004

लेखतिथि:- 11-10-2004-ई०

फॉटकर्ता:- विनोद कुगार शर्मा एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर





क्षेत्राधिकार कायालिय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
पूरक पत्र

स्टाम्प शुल्क ----- 100/- रुपये

हम कि चेतन व मोहन पुण्यगण श्री हरिकिशन गिवासीगण  
ग्राम अलामासपुर परगना व गदसील व जिला गुजरातनगर प्रथम  
पक्ष ब्र. श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल  
लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, गुजरातनगर यास्ते श्रीराम कोटोज  
गुजरातनगर हारा श्री रुषाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल  
कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सरकुलर रोड गुजरातनगर संस्थापक व  
चैयरमेन हारा ट्रस्ट डीड दिनांक 07-10-2003 ई0 जिसकी रजिस्ट्री  
कायालिय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में बड़ी नम्बर 4 की  
जिल्हा 79 के पृष्ठ 83-132 ब्रागांक 510 पर दिनांक 07-10-2003  
ई0 को दर्ज है, द्वितीय पता है।

२०/१०/२०१४

श्री द्वितीय

Shri Dvitiya  
Municipal College  
Muzaffarnagar.

जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित भूमि का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष, दिनांक 11-10-2004 ई0 को लिखकर रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री वही नम्बर 1 की जिल्ड 2295 के पृष्ठ 103-114 क्रमांक 9473 पर दिनांक 11-10-2004 ई0 को दर्ज है। उक्त बैनामा लिखते समय किसी भ्रमवश विक्रय पत्र में श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट के बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखना छूट गया था, जिसका लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, चूंकि श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ही श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर के लिये भूमि क्रय की गयी थी जो कॉलेज के हित में भी है और इसी ट्रस्ट द्वारा श्रीराम कॉलेज का संचालन भी होता है। लिहाजा इस दस्तावेज के द्वारा वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा जाये और उसे जोड़कर पढ़ा जावे, यह आवश्यक है। जूँकि पहले भी कॉलेज का संचालन ट्रस्ट ही कर रहा था और आज भी कॉलेज को ऊपर ट्रस्ट का पूर्ण नियन्त्रण है। विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी भूमि पर अब ट्रस्ट ने स्कूल की बिलिंग भी घनवा दी है। अतः दोनों पक्ष स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र में जहां श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, मिशिल लाईन दक्षिणी, सरबुत्तर रोड, मुजफ्फरनगर लिखा है, उगमें श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जावे और जुड़ा हुआ

दोनों पक्ष

गैरुनालक्षण

20/10/2007

Principal  
College  
Shri Ram  
Maffernagar

माना जाये यानि कि उक्त विक्रय पत्र में पूरा नाम श्रीराम  
चेरिटेब्ल ट्रस्ट चास्ट श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर रजिस्ट्रेट्ड  
ऑफिस 1298, सिविल लाइन दक्षिणी, सरकुलार रोड, मुजफ्फरनगर,  
द्वारा सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री गदन गोपाल कुलश्रेष्ठ  
निवासी 1298, सरकुलार रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व नैयरपन  
पढ़ा जाये।

अतः यह पूरक पत्र लिखा है कि प्रमाण रहे और यद्यपि  
पर काम आवै। इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलगासपुर बाहर हदूद परगना व  
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर: भूमि खसरा नम्बर 201 एकड़ 0.032 है, किसी जारी जंगल अव्वल आवी है।

देवेन्द्र नाथ

प्रधानमंत्री

2005/09/06

साक्षी - १  
नरेश कुमार दस्तावेज / २००५/०९/०६  
1270 सरकुलार रोड मुजफ्फरनगर

साक्षी

२००५/०९/०६

तहरीर ता: 06-09-2005 ई

इफटकता:- नरेश कुमार गुप्ता दस्तावेज लेखक, तहसील सहाय्यक निदानकर्ता

तहसील सहाय्यक निदानकर्ता  
तहसील सहाय्यक निदानकर्ता  
तहसील सहाय्यक निदानकर्ता

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.

"अंगुली का प्रकार"

(10)

अनुच्छक	तर्जनी	मध्यमा	अनामेका	कनिष्ठका
---------	--------	--------	---------	----------

प्रकार का नाम	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....

प्रकार का नाम	.....	.....	.....	.....	.....
दायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....


प्रकार का नाम	.....	.....	.....	.....	.....
दायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....

प्रकार का नाम	.....	.....	.....	.....	.....
दायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....

प्रकार का नाम	.....	.....	.....	.....	.....
दायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....
वायाँ हाथ	.....	.....	.....	.....	.....

~~Principal  
Ranji College  
Purnea.~~

2003



### क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निवन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र	:-	कृषि भूमि
विक्रेता का नाम	:-	महमूद अहमद आदि
क्रेता का नाम	:-	श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट
विक्रय मूल्य	:-	2,76,000/- रुपये
मालियत	:-	2,76,00/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	:-	27,600/- रुपये
स्थित सम्पत्ति	:-	ग्राम अलमासपुर (बाहर हट्टू)
		परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

Principals

Government College

Muzaffarnagar



15115

-2-

निर्धारित दर :— 10,00,000/- रुपये प्रति है 0 से 20% अधिक  
 किस्म जमीन :— जंगल अव्वल आबी  
 विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण  
 के अन्तर्गत है।  
 विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

हम कि महमूद अहमद पुत्र श्री मकसूद अहमद निवासी  
 754, खालापार मुजफ्फरनगर व महेशा चन्द जैन पुत्र श्री मालती  
 प्रसाद जैन निवासी 24, स्टेट बैंक कालोनी मुजफ्फरनगर प्रथम प्रक्ष  
 (विक्रेतागण) व श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस  
 1298, सिविल लाइन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर द्वारा

*Mahmud Ali* *M. A.*

*B. M. P. M.*



*Principals*  
 Shri Ram College  
 Dated 10th March 2012

5000Rs.



-3-

संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कर्तव्य पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से

Mansur Ali W.C.I.

D. S. M. T. M.

Printed  
by  
S. L. Belloo  
Mysore




45117

-4-

सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये अंकन दो लाख  
छियत्तर हजार रुपये (2,76,000/- रुपये) निस्फ  
जिसके मुबलिग एक लाख अडतीस हजार रुपये (1,38,000/- रुपये)  
होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस  
1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफरनगर द्वारा  
संस्थापक व चैयरमेन श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन  
गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफरनगर  
द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय  
मूल्य द्वारा दो किते चैक नम्बरी SQP-564470 व SQP-564471  
दिनांक 25-10-2004 ई0 पंजाब नेशनल बैंक, इंडस्ट्रीयल एरिया  
मुजफरनगर प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है।

Mehmed N Wc 92

D. M. B. M





32309

-5-

कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्त अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शारीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार

Mehand Ali Ward 2013

Principal  
Affiliation College  
Muzaffarnagar

1000Rs.



-6-

की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या बाईपास या जनपदीय मार्ग या खड़न्जे पर स्थित न होकर लिंक मार्ग पर स्थित है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई ट्यूबवेल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 8,560/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 2,76,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 2,59,200/- रुपये होती है तथा विक्रीत भूमि में चार पेड़ आम व दो पेड़ जामुन व एक पेड़ तुन्ती के खडे हैं, जिनकी अधिकतम

Mehmood

Inc

B. S. M.

Principal  
Government College  
Muzaffarnagar



-7-

मालियत अंकन 16,800/-रुपये होती है, इस प्रकार कुल मालियत अंकन 2,76,000/-रुपये होती है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।  
विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **अलमासपुर (बाहर हटूद)**  
परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।— जो कि संक्रमणीय भूमिधारी खसरा नम्बर 204 रकवई 0.082 है 0 व 205 रकवई 0.072 है 0 व 206 रकवई 0.062 है 0, कुल तीन किते

Mewatpur W.C.

D. S. M.





-8-

रकबई 0.216 है, लगान सालाना 10-70 रुपये किस्म जमीन जंगल  
अवल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

Mansukh Patel W.C.G.

D. D. Sonam

साक्षी Nand Kishor Singh 8/8.  
Secretary Kesri Singh  
V.P. - Pulwama  
Delet M.Z.M

साक्षी —————

Rajendra  
Principal  
Sri Guru Nanak College  
Jammu & Kashmir

तहरीर तातो:- 25-10-2004 ई


ड्राफ्टकर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

470284

26/10/03



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
पूरक पत्र

स्टाम्प शुल्क ----- 100/- रुपये

हम कि महमूद अहमद पुत्र श्री मकसूद अहमद निवासी  
754, खालापार मुजफ्फरनगर व महेश चन्द जैन पुत्र श्री मालती  
प्रसाद जैन निवासी 24, स्टेट बैंक कालोनी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष  
व श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाइन  
दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर  
द्वारा श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ  
निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चैयरमेन  
द्वारा ट्रस्ट डीड दिनांक 07-10-2003 ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय  
उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में बही नम्बर 4 की जिल्द 79  
के पृष्ठ 83-132 क्रमांक 510 पर दिनांक 07-10-2003 ई0 को  
दर्ज है, द्वितीय पक्ष है।

Mehmood Ali

B. D. Gorwani

Mehmood Ali

Principal  
Arifiaan College  
Muzaffarnagar.

(112)

-3-

चेरिटेबल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, ढारा सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर संस्थापक व चैयरमेन पढ़ा जाये।

अतः यह पूरक पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर बाहर हृदूद परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- भूमि खसरा नम्बर 204 रकबई 0.082 है 0 व 205 रकबई 0.072 है 0 व 206 रकबई 0.062 है 0, कुल तीन किते रकबई 0.216 है 0, किसी जमीन जंगल अच्छल आबी का कुल हक व हिस्सा यानि 1/2 भाग है।

Mehowal H C 12/09/05  
B. S. D. M. S.

साक्षी नम्रता अमला अमरा  
1298 तहसील 2.21 एकड़ी

साक्षी

तहरीर ता 0 :- 12-09-2005 ई

डाक्टर कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर



S. T. COLLECTOR  
Muzaffarnagar

जो कि प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित भूमि का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष, दिनांक 25-10-2004 ई0 को लिखकर रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्री वही नम्बर 1 की जिल्ड 2309 के पृष्ठ 267-282 क्रमांक 10066 पर दिनांक 25-10-2004 ई0 को दर्ज है। उक्त बैनामा लिखते समय किसी भ्रमवश विक्रय पत्र में श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट के बाद वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखना छूट गया था, जिसका लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है, चूंकि श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ही श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर के लिये भूमि क्रय की गयी थी जो कॉलेज के हित में भी है और इसी ट्रस्ट द्वारा श्रीराम कॉलेज का संचालन भी होता है। लिहाजा इस दस्तावेज के द्वारा वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर लिखा जाये और उसे जोड़कर पढ़ा जाये, यह आवश्यक है। चूंकि पहले भी कॉलेज का संचालन ट्रस्ट ही कर रहा था और आज भी कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट का पूर्ण नियन्त्रण है। विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी भूमि पर अब ट्रस्ट ने स्कूल की बिल्डिंग भी बनवा दी है। अतः दोनों पक्ष स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र में जहाँ श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर लिखा है, उसमें श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट, वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर पढ़ा जाये और जुड़ा हुआ माना जाये यानि कि उक्त विक्रय पत्र में पूरा नाम श्रीराम

Muzaffarnagar  
W.C.

25/10/2004

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar

“अंगुली का प्रकार”

अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यसा	अनामिका	कनिष्ठका
----------	--------	--------	---------	----------

पक्षकार का नाम ..... श्रीमद्भूतेश्वर

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम ..... श्रीमद्भूतेश्वर

दायঁ হাথ					
दायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम ..... श्रीमद्भूतेश्वर

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बাযঁ হাথ					

पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बাযঁ হাথ					

Shri Ram College  
 Mysore



### क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रेता का नाम :-	श्रीमति रामरति
क्रेता का नाम :-	श्रीराम चैरिटे बिल ट्रस्ट मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर
विक्रय मूल्य :-	90,000/- रुपये
मालियत :-	91,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क :-	9,100/- रुपये

नि. अ. रामरति



Principal  
Srinivas College  
Majlisgarh,

*[Signature]*



11 APR 2003

मुजफ्फरनगर

11641

स्थान सम्पत्ति

-2-

ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद)

परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

(विक्रीत भूमि) आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता: अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

हम कि श्रीमति रामरति पत्नी श्री जोरावर सिंह निवासी ग्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा सचिव संकल्प कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर वारते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित की मालिक व काबिज द्वारा खरीद बैनामा दिनांक 23-06-2004 ई0 है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कठाई पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी

नि. अं. रामरति



Principal  
Sardar Patel College  
Muzaffarnagar




-3-

या अद्वैत सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किसी के अंकन नाड़वे हजार रुपये (90,000/- रुपये) निस्क जिसके मुद्रिति पैतालिस हजार रुपये (45,000/-रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटे बिल ट्रस्ट मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा सचिव संकल्प कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य पेश्तर नकद प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा।

नि. अ. रामरति

Prin<sup>ct</sup> of  
College  
Muzaffarnagar




12365

-4-


है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान को कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्च रिवाजी व्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खड़न्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मे कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के

नि. अ. रामरति



Principal  
Rajkiya College  
Raebareli

1000Rs.




-5-

अनुसार अंकन 475/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 90,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किसी भूमि के अनुसार अंकन 12,100/- रुपये होती है, तोकिन भविष्य के स्टाम्प सम्बन्धी वाद विवादों से बचने हेतु द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क अंकन 91,000/- रुपये की मालियत पर अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकंरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि संक्रमणीय भूमिधरी खसरा नम्बर 210 रकबई 1.379 है, लगान सालाना 68-20 रुपये किसी जमीन जंगल अव्वल आबी के अपने कुल हक व हिस्से 683/13790 भाग में से 121/13790 भाग विक्रय

नि. अ. रामरति



Principal  
S. J. Islam College  
Mymensingh

100Rs.



-6-

किया जा रहा है, बकाया 562 / 13790 भाग पर प्रथम पक्ष वदस्तु  
मालिक व काबिज रहेगा, मय जुमला हक व हकूक हर किरम।

नि. अ. समरति



साक्षी

*विनोद कुमार शर्मा*


प्र० - ३१ अगस्त २००५

साक्षी


*विनोद कुमार शर्मा*

तहरीर ता०:- 15-04-2005 ई०

ड्राफ्ट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, फराहनगर, साचर, बांधगढ़।



*Principal  
Mr College*



"अंगुली का प्रकार"

अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यसा	अनामिका	कनिष्ठका
प्रकार का नाम				

दाय়েँ হাথ					
बायाँ हाथ					


दाय়েँ হাথ					
बायाँ হাথ					

दाय়েँ হাথ					
बायाँ হাথ					

दाय়েँ হাথ					
बायाँ হাথ					

Principal  
College  
Mysore

দায়েঁ হাথ					
বায়েঁ হাথ					



55147



3500/-


### क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर ग्रथम

विक्रय पत्र	:-	आवासीय प्लाट
विक्रेता का नाम	:-	श्रीमति सुमन लता सिंधल
क्रेता का नाम	:-	श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते
विक्रय मूल्य	:-	श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर
मालियत	:-	3,50,000/- रुपये
स्थाप्य शुल्क	:-	3,49,448/- रुपये
स्थित सम्पत्ति	:-	35,000/- रुपये
		ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद)
		परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

Seman Singh

2000/-

Principal  
S.M.C. College  
Muzaffarnagar



-2-

निधारित दर , 1,100/- रुपये प्रति वर्गमीटर  
क्षेत्रफल :- 380 वर्गज यानि 317.68 वर्गमीटर  
विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तरात है।

हम कि श्रीमति सुमनलता सिंघल पत्नी श्री महेश कुमार सिंघल निवासी प्रेमी कुंज, प्रेम गली, गङ्गशाला रोड, सहारनपुर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा संस्थापक सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित की मालिक व काबिज द्वारा

Suman Singh

Prin. College  
Saharanpur



-3-

खरीद बैनामा दिनांक 19-04-1993 ई० है। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर में वही नम्बर 1 के खण्ड 508 पृष्ठ 1-26 अंक 2459 पर दिनांक 20-04-1993 ई० को हुई थी। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कर्तव्य पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को ग्राप्त है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूम किसी भी किसी के अंकन तीन लाख पचास हजार रुपये (3,50,000/- रुपये) आधे जिसके अंकन एक लाख पिछलतर हजार रुपये (1,75,000/-रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड

Suman Singhvi

Printed  
College  
Chittaranjan  
District



29 SEP 2005

मुजफ्फरनगर

65078

-4-

ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा संस्थापक सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य नकद पेश्तर प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा व दखल विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना उठाकर दखल व कब्जा बहालत मौजूदा मौके पर मिस्ल अपने द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष या उनके बारसान का कोई ताल्लुक नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की स्वंयं की किसी क्रिया से या उनके किसी सहीम या शारीक की दबेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण से विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके बारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार


Deenansinghal

W<sup>2</sup>

Principals

Hindoo College

Muzaffarnagar



65140

-5-

होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर ले या कुल विक्रय मूल्य मय हजार खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत सम्पत्ति किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति सभी सरकारी सुविधाओं से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित दर के अनुसार मुबलिंग 3,49,448/- रुपये होती है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है, लेकिन विक्रीत सम्पत्ति का मुहायदा बहुत माकूल कीमत पर अंकन 3,50,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत किसी भी दशा में इससे ज्यादा नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य के जुमला खर्चे एवं विकास शुल्क

Suman Singh

B. M. D.

Principal  
Sri Ram College  
Delhi



(03)

05141

-6-


द्वितीय पक्ष के जिसमें होंगे। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत सम्पत्ति में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के कथानुसार कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें। इति।

दोनों पक्षों के कथानुसार विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगाना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि एक प्लाट नम्बर 35 पैमायशी पूरब:- 36 फुट, पश्चिम:- 36 फुट, उत्तर:- 95 फुट, दक्षिण:- 95 फुट, क्षेत्रफल 380 वर्गगज यानि 317.68 वर्गमीटर (मुन्दर्जा खसरा नम्बर 203) है। जिसकी सीमाएँ पूरब:- रास्ता 30 फुट चौड़ा, पश्चिम:- रास्ता 10

Lalman Singh Patel

2011/2

Patel  
Shri M. Patel  
Murshidnagar



-7-

64940

फुट चौड़ा, उत्तर:- प्लाट नम्बर 36, दक्षिण:- प्लाट दीगर श्रीराम कॉलेज  
है, मय जुमला हक व हकूक हर किस।

Suman Singh

साक्षी:— साक्षी:—


V.K. Singh  
S/o - Shri Krishan Singh  
56/8th Krishan Singh  
103/23 Atma Ram Colony  
Muzaffarnagar

Shri Ram College  
5-20 Sector  
Muzaffarnagar

तहरीर तारीह:— 28-09-2005 ₹0

द्राप्त कर्ता:— विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.




घोषणा

दोनों पक्षों के कथनानुसार घोषणा की जाती है कि विक्रीत सम्पत्ति  
के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र है।

सम्पत्ति स्थित:- झल्लामस्तुर

किसम् सम्पत्ति:- भौमि



परिचम

प्रधान बाजार

Suman Singh

Signature

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.


“अंगुली का प्रकार”

अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
----------	--------	--------	---------	----------



पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					





पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

पक्षकार का नाम .....

दायঁ হাথ					
बायঁ হাথ					

Fingerprints  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.



क्षेत्राधिकार कायलिय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम  
कुपीय छूटि

विक्रेता का नाम :-  
क्रेता का नाम :-

श्रीमति रामरति  
श्रीराम चैरिटेबिल द्रस्ट  
मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम  
कॉलेज मुजफ्फरनगर  
4,21,000/- रुपये

विक्रय मूल्य :-

नि. अं. रामधु

Principals  
of Govt. College  
Muzaffarnagar



65151

-2-


मालियत :- 4,21,500/- रुपये  
स्टाम्प शुल्क :- 42,200/- रुपये  
स्थित सम्पत्ति :- ग्राम अलगासपुर (बाहर हट्टूद)  
परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

नि. अ. सामरति

Principal  
Sri Venkateswara College  
Mysore.



-3-

हम कि श्रीमति रामरति पत्नी श्री जोरावर सिंह निवासी  
प्राम अलमासपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष  
(विक्रेता) व श्रीराम चैरिटेबिल द्रस्ट वास्ते श्रीराम  
कॉलोज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल  
लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा संस्थापक सुभाष  
चन्द्र झुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल

नि. अं. रामरति



26/12/41

Principal  
Prin. College  
Muzaffarnagar.



65142

-4-


लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित की मालिक व काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। यह भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अद्व सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति

नि. अं. रामरति



26/11/1978

Principal  
Sri Aurobindo College  
New Delhi




-5-

निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्थेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किसम के अंकन चार लाख इक्कीस हजार रुपये (4,21,000/- रुपये) निस्फ जिसके मुबलिग दो लाख दस हजार पाँच सौ रुपये (2,10,500/- रुपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबिल दस्त

निम्नलिखित  
रामरति

Principal  
Shri Ram College  
Nagpur



-6-

वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा संस्थापक सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री मदन गोपाल कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा चैक नम्बरी 248317 दिनांक 28-09-2005 ई0 पंजाब नेशनल बैंक, कोट रोड मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं

रामरति

Principal  
Rajiv Gandhi College  
Sector 10, Chandigarh

5000Rs

INDIA GOVERNMENT

REPUBLIC OF INDIA

5000 RS.

RS. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

6-1941

-7-


रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शारीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से

नि. अं. रामरति



Principal  
Sri Ram College  
Muzaffarnagar

5000/-




-8-

विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्च रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी

मिशन. रामरति

Principal  
College  
Shantinagar.



-9-

मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खड़न्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़ द्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 2,230/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 4,21,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे

नि. अं. रामरत्न



Principal  
NRI Ram College  
MadaHampi.

1000/-



- 10 -

अधिक नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित विस्त्र भूमि के अनुसार अंकन 56,200/- रुपये होती है, लेकिन द्वितीय पक्ष ने भविष्य के स्थाप्य सम्बन्धी वाद विवाद से बचने हेतु स्थाप्य शुल्क आबादी की निर्धारित दर से बैठती मालियत अंकन 4,21,500/- रुपये पर अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित



Principal  
Shri Ram College  
Mathematics




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

477421

-11-


इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। जिसके पूरब में चकरोड़ लगभग 11 फुट चौड़ी, पश्चिम में भूमि श्रीराम कॉलेज आदि, उत्तर में भूमि दीगर, दक्षिण में भूमि अरविन्द आदि स्थित है। अतः यह विक्राय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।  
हुति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (गाहुर हट्टूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो एक संक्रमणीय भूमधरी खासरा नम्बर 210 रकम है 1.379 है, लगान सालाना 68-20 रुपये किसम जमीन जंगल अव्वल आवी



Principal  
College  
Gangapur

100Rs.



उत्तर अदेश UTTAR PRADESH

-12-

का कुल कुल हक व हिस्सा 562/13790 भाग, मध्य जुमला हाफ  
इकूक हर किसम।

निः अंग रामराति

विनोद कुमार शर्मा रायडी  
अलालपुर नगर  
२३ - १०८

साक्षी —  
लाल शर्मा रायडी  
२४८ देव युवराज  
१२४० लूटमलूटी

तहसीर ता०:- 28-09-2005 ई०

द्वाप्त कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर,

Principal  
S. J. College



वन्धु वारसा विप्राधन्या  
मुलामारनगा

The sun is very bright  
and it is hard to see stars.  
The stars are very faint.

Principal College  
Mysore  
H.M.A.S.

"अंगुली का प्रकार"

अंगुलीक	ताजनी	मध्यमा	अन्तमिका	कनिष्ठका
---------	-------	--------	----------	----------

पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					


पक्षकार का नाम

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

Principals  
College  
Chandigarh

8541

5000Rs.



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र	:-	आवासीय प्लाट
विक्रेता का नाम	:-	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता आदि
क्रेता का नाम	:-	श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते
विक्रय मूल्य	:-	श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर
मात्रियत	:-	3,50,000/- रुपये
स्थाप्य शुल्क	:-	3,49,448/- रुपये
स्थित सम्पत्ति	:-	35,000/- रुपये
		ग्राम अलमासपुर (बाहर हट्टू)
		परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

Rajeev Sunit Yashvee

Princpal  
College  
Muzaffarnagar.

5000Rs.



65728

-2-

निधारित दर :- 1,100/- रुपये प्रति वर्गमीटर  
 क्षेत्रफल :- 380 वर्गगज यानि 317.68 वर्गमीटर  
 विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

हम कि राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री उग्रसैन व सचिन व सुमित पुत्रगण श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासीगण ग्राम भुरजा डाकखाना लक्ष्मीनारायण जिला हरिद्वार हाल निवासी डी-39, पल्लवपुरम मेरठ प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा सचिव संकल्प कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो

Sach

Sach

Sach

*P. Principal  
S. Sachin  
C. College  
M. Muzaffarnagar*

5000Rs.



65729

-3-

कि सम्पत्ति निम्नलिखित की मालिक व काबिज प्रथम पक्ष मुकिर नम्बर 1 की पत्ती व मुकिर नम्बर 2 व 3 की माता श्रीमति सविता द्वारा खरीद बैनामा दिनांक 19-07-1990 ई0 क्रमांक 5289 थी। जिनका स्वर्गवास दिनांक 21-08-2004 ई0 को हो चुका है, और प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित के तन्हा व जायज वारिसान है, सम्पत्ति निम्नलिखित से प्रथम पक्ष के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कर्तव्य पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन तीन लाख पचास हजार रुपये (3,50,000/- रुपये) आधे जिसके अंकन एक लाख

Sect Swami Jain

Prin. College  
Sri Chandrasekhar



65730

-4-

पिछहतर हजार रूपये (1,75,000/-रूपये) होते हैं बदस्त श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा सचिव संकल्प कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य ऐस्तर नकद ग्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा व दखल विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना उठाकर दखल व कब्जा बहालत मौजूदा मौके पर मिस्ल अपने द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष या उनके वारसान का कोई ताल्लुक नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की स्वयं की किसी क्रिया से या उनके किसी सहीम या शारीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण से विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई

..... Sach. Swami Fauzay

Pimpri Chinchwad  
Engineering College  
Santacruz (E.M.S.)



-5-

भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके बारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हजार खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके बारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके बारसान को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत सम्पत्ति किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति सभी सरकारी सुविधाओं से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित दर के अनुसार मुबलिग 3,49,448/- रुपये होती है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है, लेकिन विक्रीत सम्पत्ति का मुहायदा बहुत माकूल कीमत पर अंकन 3,50,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत किसी भी

S/

Sicks

Smt V

for cal

Principal  
Sugunan College  
Muzaffarnagar.



07-81

-6-

दशा में इससे ज्यादा नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य के जुमला खर्चे एवं विकास शुल्क द्वितीय पक्ष के जिम्मे होंगे। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत सम्पत्ति में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के कथानुसार कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें। इति।

दोनों पक्षों के कथनानुसार विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हूद) परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि एक प्लाट नम्बर 36 पैमायशी पूरब:- 36 फुट, पश्चिम:- 36 फुट, उत्तर:- 95 फुट, दक्षिण:- 95 फुट, क्षेत्रफल 380 वर्गगिज यानि 317.68 वर्गमीटर (मुन्दरा खसरा नम्बर 203) है। जिसकी सीमाएँ पूर्व:- रास्ता 30 फुट चौड़ा, पश्चिम:- रास्ता 10


22/1

Sach

Smit

Fawcet

Principal  
Shri Ram College  
Delhi



-7-

65739

फूट चौड़ा, उत्तर:- प्लाट नम्बर 37 व 38, दक्षिण:- भूमि श्रीराम कालेज  
है, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी:-

श्री विनोद कुमार शर्मा  
एडवोकेट  
अलगावडी

साक्षी:-

श्री विनोद कुमार शर्मा  
एडवोकेट  
मुजफ्फरनगर  
गुजरात

तहरीर ता०:- 07-10-2005 ई०

इफट कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील



Principles  
Shiv Sagar College  
Muzaffarnagar.


घोषणा

यहाँ दशों के कथनानुसार घोपणा की जाती है कि निम्नीत समझी  
के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र है।

सम्पत्ति स्थितः- सलाहापुर

किस्म सम्पत्ति:- कम्ब

पूरब प्राची क्षेत्र



पश्चिम

दक्षिण

उत्तर

Hantale

Principal  
Shri Ram College  
Hantale

अगुच्छक	तर्जनी	मध्यमा	अनामका	कानूनीप्रक्रिया
---------	--------	--------	--------	-----------------

पक्षकार का नाम ..... १०५४५५५५५५५

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम ..... १०५४५५५५५५५५५

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम ..... १०५४५५५५५५५५५

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम ..... १०५४५५५५५५५५५

दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

पक्षकार का नाम .....

--	--	--	--	--	--

Principal  
S.P.I.C. - College

प्रष्ठां संख्या - 6 (नियम - 8 देखिए)

# उत्तर प्रदेश सरकार (भारत) (स्थान्य विभाग)



खण्ड - चौथा

2002 के बाद से यह प्रोजेक्ट और यस्ते नियन्त्रकरण लिया गया।

वारा. 12/धारा 17 के अधाने जरा अलग हैं। जो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिते हैं

卷之三

2021/22

३८० ग्रन्थालय संस्कृतिकरण संथाया

जिसस्त्रकरण का हिताक

प्राचीन भारत विज्ञान

तिर्पत करने वाले प्राचीन भूमि शब्द इतिहास का एक अप्राप्ति

8-25

प्रतिबन्धालक रुपड  
जैसा कि रक्षितर में प्रविष्ट है, पक्षट् नवा का जीवन।

卷之三

卷之三

卷之三



300  
2005

65934



### क्षेत्राधिकार कायालिय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम


विक्रय पत्र	:- कृषि भूमि
विक्रेता का नाम	:- श्रीमति आभा कुलश्रेष्ठ आदि
क्रेता का नाम	:- श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट मुजफ्फरनगर वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर
विक्रय मूल्य	:- 1,10,000/- रुपये
मालियत	:- 1,10,000/- रुपये
स्टाम्प शुल्क	:- 11,000/- रुपये

*Abha Kulfarni H.S.*

*उम्मीद*

*Abha*

*Prinsepal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.*



129783

-2-


स्थित राष्ट्रिय :- / ग्राम अलगासपुर (बाहर हदूद)  
परगाना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर  
किसम जमीन :- जंगल अव्वल आबी  
विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।  
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

हम कि श्रीमति आभा कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ व श्रीमति अन्जू चौधरी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार नौधरी निवासीगण 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विवेतागण) व श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट वास्ते श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा संचित संकाल्प

Abha Kulshrestha  
Janjati

A. N. C.

Principal  
M. P. College  
Maffernagar.



129784

-3-


कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रोता) है। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काविज है। यह भूमि हर प्रकार के ब्रह्म, भार, देनदारी से कर्त्तव्य पाक व साफ है और न ही किसी भी सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में बंधक है और भूमि निम्नलिखित को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। अतः प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त द्वन्द्वों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना वाकी रखे हक व हकूक किसी भी किसां के अंकन एक लाख दस हजार रुपये (1,10,000/-रुपये) निस्फ जिसके मुद्रणग पचपन हजार

(Abinashish)

उमा कुमार

10/10/1954

Principal  
Government College  
Muzaffarnagar.



129785

-4-


रुपये (55,000/-रुपये) होते हैं बदल्त श्रीराम चैरिटेबिल द्रस्ट  
वास्ते श्रीराम कॉलोज मुजफ्फरनगर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस  
1298, सिविल लाईन दक्षिणी, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर है, द्वारा  
सचिव संकल्प कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री सुभाष चन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी 1298,  
सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से  
विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य पेशतर नकद प्राप्त कर लिया है।  
अब कोई ऐसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष  
ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का  
करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का  
कोई ताल्लुक व वास्तो नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि  
प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शारीक की

A. Lal K. S. J. P. H.

उम्मज्जू

X

Principal  
Shri Ram College  
Muzaffarnagar.



129786

-5-


दावेदारी से या किसी कानूनी द्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे हितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर ले या कुल विवाय गृह्य मय हर्ज खर्च रिकाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है। विक्रीत भूमि लिंक मार्ग पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़, दयूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लागान के अनुसार अंकन 400/- रुपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन 1,10,000/- रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक

*Ahmed Kudsi Greshly*

*अमन्त्र*

*✓*

*Municipal  
High School College  
Mysore, 1955.*



-6-

नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 14,000/- रुपये होती है, परन्तु भविष्य के सभी स्टाप्प सम्बन्धी विवादों से बचने के लिये द्वितीय पक्ष ने स्टाप्प शुल्क आबादी की निर्धारित दर अंकन 1,100/-रुपये प्रति बर्गमीटर से बैठती मालियत अंकन 1,10,000/-रुपये पर आदा किया गया है। विक्रीत भूमि के साथना 1 में आज से पूर्व कोई निवन्धित इकारणामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 बीटर की क्रिया में कृपि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम अलमासपुर (बाहर हदूद) परगाना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि संक्रमणीय


Abha Vukhresia

अच्छा

✓

Principal  
Government College  
Almora

1000 Rs.



-7-

28/10/00

भूमधरी खसरा नम्बर 204 मि० रकबई 0.010 है०,  
लगान सालाना ००-५० रुपये किसम जमीन जंगल अव्वल आबी का तुल  
रकबा, मय जुमला हक व हकूक हर किसम।

Abha Verma

अन्न

Parvat

साक्षी

M. Subba

नाम: मोहन  
गुप्ता  
ठहरील सदर, गुजरात

साक्षी

C.A

तहरीर ता०:- 13-10-2005 ई०

डाक्टर कर्ता:- विनोद कुमार शर्मा एडवाकेट, तहसील सदर, गुजरात



Principals

Principals

अग्रंथक	तर्जनी	मध्यसा	अनामिका	कमिष्टका
प्रश्नकार का नाम				

दायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

प्रश्नकार का नाम

दायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

प्रश्नकार का नाम

दायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

प्रश्नकार का नाम

दायाँ हाथ					
दायाँ हाथ					

प्रश्नकार का नाम

दायाँ हाथ			Principal Shri Rathy College Date: 10/01/2018		
दायाँ हाथ					

उद्धरण खनी

प्राम का नाम : अत्यामपुर (बाहर हूद्दे) ।  
प्राम का नाम : अत्यामपुर (बाहर हूद्दे) ।

जनपद : मुजाहिदरनगर फसली वर्ष : 1409-1414

फसली वर्ष : 1409-1414  
भाग : 1

तहसील : सदर

۲۷۲

खातदार का नाम	खातदार का नाम
खटोनी	सरक्षक का नाम
क्रम संख्या	पिता / पति /
	सरक्षक का नाम
	निवास स्थान
भौमिक अधिकार	खाते के प्रत्येक
प्रारम्भ होने का	प्रत्येक
फसली वर्ष	खातेवार
गाटे की स्थिति	गाटे का
संख्या	व्यापार वेत्ता
	सांसाध उनकी संख्या तथा दिनांक
	मालगुणाती
	सहित और आजा देने
	टिप्पणी

1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी: 1-क पूर्व जो संक्षणीय भूमिकारे के अधिकार में हो।							

00001	आर्टमीचन्द्र	मुलचन्द्र	निर नई मणडी, मुठ नार।	पूँ 360फ०	209	0.5760	14। फ आर्टमीचन्द्र श्रीमति तदो यश लाल गांगा
-------	--------------	-----------	-----------------------	-----------	-----	--------	---

1411 अद्वारा अनुसार श्रीमान तहू सदर बाद संख्या  
60/23-12-03 को वैनामा आदेश इआ कि ख0न0209 थे 0  
0.576ल028.50 रुप से अट्टमी चान्द प्रथा मूलधन निकासों  
नवी मंडी मु0 नगर का नाम खालिज करके श्रीराम  
चैरिटीबिल इस्ट 1298 सरकृतर रोड मु0 नगर बस्ते  
श्रीराम कालेज मु0नगर द्वारा युभाष चान्द कुलश्रेष्ठ

पुत्र भद्रन गोपल कृत्तिश्वर 1298 सरकार रोड मुंगेर  
भार चेयरमैन व धर्मपाल सिंह पुत्र हारचंद्र सिंह  
निवासी 343 डिफेस इनकलेक मेरठ केन्ट बाइस चैयरमैन  
का नाम ज्ञारा बैनामा 7,00,000 रु ० दि 21-11-03  
दर्ज होने ० ० तोखपाल 26-12-03  
1412 ए आदेशानुसार श्रीमान उपजिल्लाधिकारी महोदय के  
आदेश दि 19-08-04 के अनुसार ग्राम अल्लमसपुर की पर्षी  
खसरा नं 209 को ०.५७६ हॉ को धारा 143 जमी० विनाश  
अधिको के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाता है  
ह० लेखपाल 19-08-04

कुल गाटे: 1 कुल सो: 0.5760 28.50

  
Shri Ram College  
of Management

ਤੁਲਕ ਰਣ ਖਾਤੌਨੀ

四

परमानन्द : सद्वर्द्धन  
भाग : १ तहसाल : सद्वर्द्धन

आम क्रमांक : ०३०१०५१२००६  
जनपद : मुग्धपक्षनगर

ग्राम का नाम : अलमासपुर (बाहर हड्डूद)

T : 1116

तद्वारा लिखित :

**अंगणी :** १-कृ . द्वारा जो संक्रमणोन् भूमध्यसे के अविकर में हो।

रमेश्वर	११००
साहचन्द्र	
यामचन्द्र	
यामचन्द्र	

निःसार	निःसार	पु. 3640	पु. 3640	35 म.	0.0070
निःसार	निःसार	पु. 3640	पु. 3640	210	1.3790

140950 जारीसन्सर श्रीमान तहो सदर बाद से 0 293/  
26-06-01 को बैनर अदेश हुआ कि ख0न0 210/1.379

धारा 143 के अन्तर्गत ख030 35/0.007 ला.0. 20  
अकृतिक घोषित करते हुए लाए छट दी गई ख030/022-1-9।

ले 68.10 के 68.137 धारा से दिया चन्द्र प्रति

पुत्र रामचन्द्र निः ५३० ग्राम का नाम इस बैंगासा १६००/-  
जर्जे रुपये २२.७७.१

देख हो—हैलू उड़ाने की तरफ 1411फ0 आदेशानुसार श्रीमान तह0 सदर चाद स0 109/

29-01-04 को बैनामा आदेश हुआ कि ख0न0 210/1,379  
लाइसेंस 40 के अधीन भारत में स्वतंत्र राज्यान्वयन का

नाम खारिज करके श्रीराम चेरीटेवल दरस्त रिझ०

ओपक्स 1298 तिला० द० सरकुलर रोड मूनगर  
द्वारा संस्थापक च वेपरमेन श्री सभपत्तचन्द्र कल श्रेष्ठ

पुनर्मदन गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ नि० १२९८ सि० ३० मू०नार

बूद्धीरासंस्थ नारायण कुमार पुजा धर्मपालिस्थ निः ३४५  
ए.ब्लाक.डिफेन्स इन कलेज सरथना रोड मोठ कोट्ट के

का नाम द्वारा बैनामा 27500/- दिन 22-12-03  
उमेर तीन वर्षों 13 3 04

४३६१-८०८० १२-२-०५

/13-02-04 को बैनामा आदेश हुआ कि ख0न0 210/1.39

5/26/2019



संकेतक : ०३०१०५१२००६  
मुख्यपत्रिका नामः

**प्राम का नाम : अलमासपुर (बाहर हड्डी)**  
**फसली वर्ष : १४०९-१४१४**

卷之三

तद्वारा : एक

*W. H. Gandy*  
Johns Hopkins University  
Baltimore, Maryland

क्रमांक : 03010512006 प्राप्ति का नाम : अलमसुर (बाहर हृदय)

निवास स्थान : मुजफ्फरनगर

प्रधाना : सदर

तहसील : सदर

खाता  
खातेदार का नाम  
क्रम संख्या

मुजफ्फरनगर  
फसली वर्ष : 1409-1414

प्रिति / प्रति /  
सरकारी कानूनी विधि

निवास स्थान  
भाग : 1

भौमिक अधिकार	खाते के प्रत्येक	खातेदार	परिवर्तन सम्बन्धी आशांचा उत्तमा
प्राप्ति होने का	गाटे की खसरा	गाटे का	व्याराचे
फसली वर्ष	संख्या	क्षेत्रफल	सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक
	(हे.)	या लगान	सहित और आगा देने

3  
4  
5  
6

7  
12

13

श्रीराम चौटेबल द्रष्टव्य जनाम सरकार में  
2-12-05को आईचा हुआ कि भूमि स्थित अलमसुर  
के खाता सं043के ख0102010/0320ल0160खाता 101व  
ख01020104य/0820,205/0.0720,206/0.0620

कुल सेठ0.226हेत्तल09.00व खाता स0111के  
ख0102101/1.3790डेल068.35के

यथोभाग की जटिलअधिकारी घाटा 143 के अन्तर्गत  
अक्षीषिक भूमियोषित किया जाता है।

(6/2)ह010रका016-01-06

1413फ0-आदेशानुसार तहसील चान्द स0712/  
2-01-05को आदेश हुआ कि खाता स0111 के

ख0102101/1.3790डेल068.20के यथोभाग से  
विक्रेता श्रीमति रामरति पत्नी जीराचर नियमाम

अलमसुरका नाम खातिर करके बेतागाण श्रीराम  
चौटेबल द्रष्टव्य मृदगर वास्ते श्रीराम कालेज

मृदनर राजीवानिकाल0298सिलालाद०साफ़तार रोड  
मृदन गोपाल कुल श्रेष्ठ निल1298 सिलालाद०मृदन

नगर का नाम द्वारा जैतामा दिनांकित 4.21,000/-  
सं0मृदन्है। (5/2)ह010रका016-01-05

1414फ0आदेशानुसार तहसील चान्द स0 396/22-6-07  
को आदेश हुआ कि खाता सं 111के ख0102101/1.739

लगान 68.20के यथोभाग से विक्रेता श्रीराम चौटेबल  
द्रष्टव्य स्त्रीराम कालेज मृदनर राजीवानिकाल0298  
सिलालाद० सरकालर रोड मृदनर द्वारा संस्थापक

समाजसद्वकालश्रेष्ठ पूजन मृदनरोपाल कुलश्रेष्ठ 10  
1298सिलाद० 0सरकालर रोड मृदनर का नाम खातिर

करके क्रेता मतीराम गोपीचन्द चौटेबल द्रष्टव्य







## उद्धरण खतोनी

प्राप्त क्रमांक : 03010512006

ग्राम का नाम : अलमासपुर (बाहर हड्डू)

परागा : सदर

जनपद : मुजफ्फरनगर

फसली वर्ष : 1409-1414

भाग : 1

खाता खातेदार का नाम

खतोनी क्रम संख्या

पिता / पति /  
साक्षक का नाम

निवास स्थान  
ग्रामीणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

00101 महमूद अ0

मकासूह अ0

नि0 754 खालापार

1389फ0स0	204म	0.0820
1389फ0स0	205.	0.0720
1389फ0स0	206.	0.0620

अहमद नि0 574 खालापार मु0नगर का नाम खालिज  
स्टेट बैंक कालोनी मु0नगर का नाम द्वारा जैना  
5000/- दि0 31-12-02 दर्ज हो।

1410फ0 आदेशनामार श्रीमान तह0 सदर वाद सं0 114/  
14-02-03 को बैनामा आदेश हुआ कि ख0न0101 के  
ख0न0 206 / 0.031 ल0 1.50 से महसूह अहमद पुर0

मकासूह अहमद नि0 754 खालापार मु0नगर का नाम  
खालिज कालोनी महेशचन्द्र जैन पुर मालतीप्रसाद जैन  
नि0 24स्टेट बैंक कालोनी मु0नगर का नाम द्वारा जैना  
2000/- दि0 31-12-02 दर्ज हो।

—ह0ल0 17-02-03  
1410फ0 आदेशनामार श्रीमान तह0 सदर वाद सं0 114/  
ल0 1.70 से महसूह अहमद पुर मकासूह अहमद  
नि0 754 खालापार मु0नगर का नाम खालिज करके  
महेशचन्द्र जैन मालती प्रसाद जैन नि0 24स्टेट बैंक  
कालोनी मु0नगर का नाम द्वारा जैना 30000/- दर्ज  
हो—ह0ल0 17-02-03

170

*Khatooni*  
Khatooni  
College  
Muzaffarnagar.

0

03010512006

प्राप्त करा नाम : अलमसपुर ( हड्डू ) प्रस्तुता : सदर

फसली वर्ष : 1409-1414

भाग : 1

तहसील . सदर

खाता  
खतोनी  
क्रम संख्या

खातेदार का नाम

पिता / पति /  
सरक्षक का नाम

निवास स्थान

भौमिक अधिकार	खाते के प्रत्येक	खातेदार	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या अस्का
प्रारम्भ होने का	गाट की खसरा	ब्राह्मदेव	सारणी उत्तरकी संख्या तथा दिनांक
फसली वर्ष	संख्या	मालगुजारी	सहित और आज्ञा देने
	( हे. )	या लागत	वाले अधिकारी का पद

1

3 4 5 6

7-12

13

22-02-03 को बैनामा आदेश द्वाकि ख0न0 205/0.036  
ल0 0.75 पैसे से मुहरचन्द जैन पुत्र याती प्रसाद जैन

निं 24 स्टेट बैंक कालीनी मु0नार का नाम खालीजा

करके महमद अहमद पुत्र मकसूद अहमद नि 754  
खालापर मुठनगर का नाम द्वारा बैनामा 25000/-  
दर्ज हो।

-दूसरो 25-02-03

1412फ0 आदे0 श्री0 तह0 सदर चाह सं0 36/29-11-04  
को बैनामा आदेश द्वाकि खान0 204/0.082 , 205/

0.072, 206/0.062 ल0 10.70ल0 से महमद अहमद

पुत्र मकसूद उहमद निं 554 खालापर मु0 नार व

महरचन्द जैन पुत्र मालती याती प्रसाद जैन निं 24स्टेट बैंक

कालीनी मु0 नार का नाम खालीज करके श्रीराम

चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टरोफिस 1298 सि0 ला0 दर्शकी

सरकालर रोड मु0 नार द्वारा संसाधक व चैरमन

सुधारचन्द कूलश्रेष्ठ पुत्र मदननाथल कूलश्रेष्ठ निं 1298

स्ट0 ला0 दर्शकी मु0 नार का नाम द्वारा बैनामा

276000/- दि0 25-10-04 दर्ज हो हालेह0

30-11-04

1413फ0-नवालाल श्रीमान उपजिलाधिकारी

महोदयक चाह सं020/05धारा

-143ज0विभागीजनामसपुर परगना मुठनार

को आदेश द्वाकि धूमि स्थित अलमसपुर के खाता

सं043के छान0201/0.032ला01.60खाता 101के छान0

204म0.0820/205/0.0720,206/0.0620

कूल दो0.2260 हेल्प09.00व खाता सं0111के

ख0न0210/1.3790हे0 ल063.35के यथोभाग की

*Principal*  
*Shri Ram College*  
*Muzaffarnagar.*

03010512006

प्राप्त का नाम : अलमासपुर (ब हृद) प्रसन्ना : सदर

नहसील, सदर

पट

: मुजाफ़फ़रनगर

फसली वर्ष : 1409-1414

भारा : 1

खाता खातेदार का नाम पिता / पति / संरक्षक का नाम

निवास स्थान

भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष

खाते के प्रत्येक प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या (हेट)

खातेदार चालानां वाले ओषधियों का पद

परिवर्तन सम्बन्धी आजा या उसका सारणा देय क्षेत्रफल मालागुजारी सहित और आजा देने

परिवर्तन सम्बन्धी आजा या उसका विवरणी दिवाली विनैक दिवाली विनैक दिवाली विनैक

दिवाली विनैक

खातेदार का नाम क्रम संख्या

1

2

3

4

5

7-12

13

कुल गाटे : 3 कुल देख : 0.2160

9.00

जीवित अधिकारी भारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक  
भूमियोषित किया जाता है। (6/2)  
दृश्यकारा। 6-01-06


जिने माहे पूर्ण बहुत

रजिस्ट्रर को द्वारा  
नहसील सदर (मुज़फ़रनगर)

11 JUN 2009

*Shri Ram College  
Muzaffarnagar.*

०



## उद्धरण खतोनी

प्राप्त क्रमांक	:	03010512006	ग्राम का नाम	:	अलामसुर (बाहर हट्टू)	परागना	:	सदर	तहसील	:	सदर
जनपद	:	मुजफ्फरनगर	फसली वर्ष	:	1409-1414	भाग	:	1			
खाता खतोनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/संरक्षक का नाम	निवास स्थान	सौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे का शेषफल (हे)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका साताश उनकी संख्या	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका साताश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद			टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12					13

अधीनी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिघरों के अधिकार में हो।


00072	श्रीमति प्रेमलता धन सिंह धनसिंह	धन सिंह पोदे सिंह	निः0 रेलवे रोड मुँनगर निः0 रेलवे रोड मुँनगर	पू01360फ0 204म 0.0100	1412फ0-आदेशानुसार तहसीलदार वाद सं0 232/ 28-06-2010 के कुल भाग से धनसिंह पुत्र पोदे सिंह व श्रीमति प्रेमलता धनसिंह निः0 स्टैंट बैंक यावाटर्स रेलवे रेलवेरोड मुँनगर के छारिज करके श्रीमति आमाकुलशेष पत्नी सुभाषचन्द्र कुल च श्रीमति अन्जु चौधरी पत्नी देवेन्द्र कुमार चौधरी निः0 12: सिविल लाइन द० मुँनगर का नाम द्वारा बैनाम 1,00,000 दिनांकित 4-03-03 संक्र0 भूमिघर दर्ज हो।
					हाराका0 28-6-05

1413फ0-आदेशानुसार तहसीलदार सदर वाद सं0 17/ 17-11-05 को आदेश हुआ कि खातासं 72 के गाटासं 204म / 0.010 लगान 0.50 रुपये के कुल भाग से विक्रेता श्रीमति आमाकुलशेष पत्नी सुभाषचन्द्रकुलशेष व श्रीमति :

चौधरी पत्नी देवेन्द्र कुमार चौधरी निवासी 1298 सिलाद० मुँनगर का नाम खारिज करके क्रेता श्रीराम चैतीटेविल द० चिलाद० सरकुलर रोड मुँनगर रजिस्टर ऑफिस 1: पुत्र सुभाषचन्द्र कुलशेष निवासी 1298 सिलाद० मुँनगर नाम द्वारा बैनाम दिनांकित 13-10-05 अंकत 1,10,000/ दर्ज हो। (4/2) हाराका0 25-11-05

1413फ0-न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा

*Ram College  
Muzaffarnagar*



खाता खातेदार का नाम निवास स्थान  
खतोनी क्रम संस्कार का नाम

गौमिक अधिकार प्राप्ति / पति /  
प्राप्ति होने का प्रत्येक गाटे का मालगुजारी या उसका सारांश उनकी  
फरसली वर्ष की खसरा लगान संख्या तथा दिनांक सहित  
संख्या

खाते के प्रत्येक गाटे का खातेदार द्वासा देय परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

टिप्पणी

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7-12							
13							

20/05 धारा 143 जनविं अधिकारी जालमसपुर पश्चना मुनियार  
श्रीराम चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाम सरकार में 29-12-05 को  
आदेश हुआ कि भूमि स्थित अलमसपुर के खाता संख्या 072  
के खसरा नं 10 2045/0.0100ल 0.50 के पथोमाण को जनविं  
अधिकारी की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्धोषित  
किया जाता है। (6/2) हॉस्टका 06-01-06

फुल गाटे : 1 फुल थो : 0.0100

निर्गमान्त्रिम प्राप्तिकृत  
संस्कार का नाम  
रोज़हद्दर (मुनियार)  
सहस्रोल सदर (मुनियार)



26 DEC 2009

*[Signature]*  
Sahasralal Sadar  
Muniraj